राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर

1. संगठनात्मक ढांचा :

राज्य में भूमि विकास बैंकों का संघीय संगठन है, राज्य स्तर पर राज्य भूमि विकास बैंक है जिसकी स्थापना 26 मार्च 1957 को हुयी थी। जिला स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक कार्यरत है। राज्य के 33 जिलों में 36 भूमि विकास बैंको द्वारा 125 शाखाओं के माध्यम से दीर्घकालीन ऋण वितरित किये जा रहे है। श्रीगंगानगर एवं प्रतापगढ़ भूमि विकास बैंकों की कोई शाखा नहीं है। राज्य के 3 जिलों अजमेर, जोधपुर एवं श्रीगंगानगर में प्रत्येक में 2 प्राथमिक बैंक है। विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	जिला	नाम प्राथमिक बैंक
1.	अजमेर	अजमेर एवं केकडी
2.	जोधपुर	जोधपुर एवं बिलाडा
3.	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर एवं रायसिंहनगर

2. ऋण गतिविधियॉ :

ग्रामीण साख के क्षैत्र में भूमि विकास बैंकों की विशिष्ट भूमिका है। भूमि विकास बैंकों की स्थापना का मूल उद्येश्य कृषकों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने हेतु पुराने ऋणों के चुकारे व भूमि को बन्धक मुक्त कराने के लिए ऋण उपलब्ध कराना था।

वर्तमान में भूमि विकास बैंक परम्परागत उद्येश्यों यथा नवकूप निर्माण, कूप गहरा, कूप मरम्मत, पम्पसैट, ट्रेक्टर, पक्की नाली आदि के साथ–साथ फल वृक्षारोपण, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, डेयरी, मत्स्य–पालन, भेड/बकरी पालन आदि उद्येश्यों हेतु भी ऋण उपलब्ध कराये जा रहे है। उद्येश्यों के 5 मुख्य वर्ग हैं जिनकी गत तीन वर्षों की उपलब्धि का विवरण निम्नानुसार है :–

(3) सेक्टरवार ऋण वितरण :– **(राशि लाखों में)**

सैक्टर	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19 (up to31.08.18)
लघुसिंचाई	1494.40	1145.68	1192.62	228.64
कृषि यंत्रीकरण	2067.84	1726.25	1833.29	435.73
विविधिकृत	14214.59	12565.47	16511.77	4873.64
अकृषि	3211.19	2340.91	1627.67	354.49
ग्रा0आवास	3907.34	2481.98	3049.98	723.00
फसली ऋण	3210.77	2773.30	2338.44	1889.03
मोर्गेज ऋण	1405.17	208.77	452.52	73.15
योग	**29511.30**	**23242.36**	**27006.29**	**8577.68**

(अ) लघु सिंचाई उद्देश्य :

नलकूप, नवकूप निर्माण, कूप गहरा/मरम्मत, विद्युत/डीजल पम्पसैट, डिग्गी निर्माण, पक्की नाली, स्प्रिंकलर एवं फार्म पोण्ड, लिफ्ट इरीगेशन, पम्प हाऊस, ड्रिप सिंचाई विधुतिकरण आदि मुख्य उद्देश्य है। जल सरंक्षण की दृष्टि से पक्की नाली निर्माण, स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि डार्क क्षेत्रों में नलकूप, नवकूप निर्माण, कूप गहरा/मरम्मत, विद्युत/डीजल पम्पसैट आदि हेतु ऋण उपलब्ध नहीं कराये जाते है। ऋण की अवधि 5 से 15 वर्ष है। वर्ष 2018–19 (31.08.2018 तक) मे 200 केसेज में रुपये 228.64 लाख रूपये का ऋण वितरण किया गया है।

(ब) कृषि यंत्रीकरण :

ट्रेक्टर, थ्रेशर, ट्रॉली एवं अन्य कृषि यन्त्रों हेतु भूमि विकास बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराये जाते है। निर्धारित शर्तो के अनुसार 6 एकड बारह मासी सिंचित कृषि भूमि या सम मूल्य की असिंचित कृषि भूमि होने पर ही कृषक को ट्रेक्टर हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ट्रेक्टर के साथ 2 कृषि यन्त्र (ट्रॉली सहित) कृषक के पास उपलब्ध होने की सुनिश्चितता करनी होगी अन्यथा ट्रैक्टर के साथ क्रय करना आवश्यक है। नाबार्ड व राज्य सरकार की अनुमति से ट्रैक्टर क्रय हेतु अप्रेल 2008 से नकद ऋण भुगतान योजना लागू की गई है। ऋण की अवधि 9 वर्ष वर्ष 2018–19 (31.08.2018 तक) में 90 केसेज में रुपये 435.73 लाख का ऋण वितरण किया गया है।

(स) विविधिकृत उद्देश्य :

फल वृक्षारोपण, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, भेड/बकरी पालन, भू–समतलीकरण, मृदा सुधार, कुक्कुट पालन, ग्रामीण गोदाम, प्याज गोदाम, शीतगृह निर्माण, जोजोबा, वर्मी कम्पोस्ट निर्माण, कृषि क्लिनिक स्थापना आदि उद्येश्यों हेतु ऋण भूमि विकास बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे है। ऋण की अवधि 5 से 12 वर्ष है। वर्ष 2018–19 (31.08.2018 तक) में 1748 केसेज में रुपये 4873.69 लाख का ऋण वितरण किया गया है।

(द) अकृषि ऋण :

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से, भूमि विकास बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में, लघु कुटीर उद्योगों के विकास के लिए ग्रामीण दस्तकारों एवं लघु उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराये जा रहे है। इसके अतिरिक्त दुपहिया वाहनो, जीप/कार एवं लघु पथ परिवहन वाहनों, स्वरोजगाार क्रेडिट कार्ड, शैक्षणिक संस्थान, उच्च शिक्षा हेतु ऋण भी ऋण उपलब्ध कराये जा रहे है। ऋण की अवधि 2 से 10 वर्ष है। वर्ष 2018–19 (31.08.2018 तक) मे 207 केसेज में रुपये 354.49 लाख का ऋण वितरण किया गया है।

(य) ग्रामीण आवास :

राष्ट्रीय बैंक के वित्तीय सहयोग से कृषकों को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भवन निर्माण एवं भवन मरम्मत हेतु ऋण उपलब्ध कराये जा रहे है। ऋण की अवधि 5 से 15 वर्ष है। वर्ष 2018–19 (31.08.2018 तक) मे 111 केसेज में रुपये 723.00 लाख का ऋण वितरण किया गया है।

(र) फसली ऋण वितरण :

प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के माध्यम से कृषि क्षेत्र के ऋणी सदस्यों जो अपनी मांग का नियमित चुकारा करते है, उनको स्वयं के वित्तीय स्त्रोत से फसली ऋण उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। फसली ऋणों का पुनर्भरण नाबार्ड द्वारा नहीं दिया जा रहा है। ऋण की अवधि 1 वर्ष है। वर्ष 2018–19 (31.08.2018 तक) में प्राथमिक बैंकों द्वारा स्वयं के वित्तीय संसाधनों से 1280 केसेज में रुपये 1889.03 लाख के फसली ऋण उपलब्ध कराये गये हैं।

(ल) मोर्गेज ऋण वितरण :

प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के माध्यम से कृषि क्षेत्र के ऋणी सदस्यों जो अपनी मांग का नियमित चुकारा करते है, उनको स्वंय के वित्तीय स्त्रोत से मार्गेज ऋण उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। मार्गेज ऋणों का पुनर्भरण नाबार्ड द्वारा नहीं दिया जा रहा है। ऋण की अवधि 1 वर्ष है। वर्ष 2018–19 (31.08.2018 तक) में प्राथमिक बैंकों द्वारा स्वयं के वित्तीय संसाधनों से 28 केसेज में रुपये 73.15 लाख के फसली ऋण उपलब्ध कराये गये हैं।

3. कृषकों के हित की विभिन्न योजनाऐं:

कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास बैंकों के माध्यम से विभिन्न योजनाऐं लागू हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

(1) महिला विकास ऋण योजना :–

महिलाओं को आय के साधन जुटाने की दृष्टि से भूमि विकास बैंकों द्वारा महिला विकास ऋण योजना के अन्तर्गत महिलाओं को अकृषि उद्देश्यों तथा डेयरी हेतु अधिकतम 50,000 रू तक का ऋण, कृषि भूमि की प्रतिभूति के बिना भी दो व्यक्तियों की गारण्टी पर उपलब्ध कराया जाता है। ऋण की अवधि 5 वर्ष है। वर्ष 2018–19 (31.08.2018 तक) में 296 महिलाओं को रूपये 632.92 लाख के ऋण वितरण किये गये हैं जिनमें से महिला विकास योजनान्तर्गत 23 महिलाओं को 11.50 लाख रूपये के ऋण वितरण किये गये हैं। गत तीन वर्षो में महिला विकास योजना अन्तर्गत वितरित ऋणों का विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशिलाखोंमें)

क्र. सं.	वर्ष	महिलाओं को कुल ऋण वितरण		महिला विकास योजना में ऋण वितरण			
				लक्ष्य		ऋण वितरण	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2015-16	1653	3319.39	633	316.50	295	117.33
2	2016-17	1309	2975.94	500	250.00	142	100.14
3	2017-18	1528	3518.48	500	250.00	188	81.85
4	2018-19 (upto 31-08-18)	296	632.92	500	250.00	23	11.5

(2) विद्युतीकरण :

विद्युत कनेक्शन लेने के लिये विद्युत विभाग में डिमाण्ड राशि जमा कराने हेतु किसानों को ऋण उपलब्ध करवाया जा रही है। ऋण की अवधि 9 वर्ष है। वर्ष 2018–19 (31.08.2018 तक) में विद्युतीकरण के लिए 18 केसेज में रुपये 11.19 लाख का ऋण वितरण किया गया है। गत तीन वर्षो में विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत वितरित ऋणों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क.सं.	वर्ष	ऋण वितरण	
		संख्या	राशि(लाखों में)
1	2014-15	50	53.08
2	2015-16	134	149.32
3	2016-17	35	34.87
4	2017-18	125	77.56
5	2018-19 (upto 31-08-18)	18	11.19

(3) स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड :

राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्रायोजित स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत अकृषि गतिविधियों हेतु अधिकतम 50000 तक के ऋण उपलब्ध कराये जा रहे है। ऋण की अवधि 5 वर्ष है। वर्ष 2018–19 (31.08.2018तक) में 78 मामलों में 69.90 लाख रूपये के ऋण वितरित किये गये है। गत तीन वर्षो में स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत वितरित ऋणों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क.सं.	वर्ष	ऋण वितरण	
		संख्या	राशि(लाखों में)
1	2015-16	676	375.27
2	2016-17	279	182.79
3	2017-18	311	165.34
4	2018-19 (up to 31.08.18)	78	69.90

(4) शैक्षणिक संस्थान ऋण योजना :

राज्य की प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक अपने कार्यक्षेत्र में निजी क्षेत्र की अच्छी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, विकास आदि के लिए ऋण उपलब्ध करवा रही है। प्राथमिक बैंकों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूल, कॉलेज तथा तकनीकी शिक्षण संस्था, जैसे मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, इंजिनियरिंग कॉलेज, प्रोद्योगिक तकनीकी संस्थान आदि के लिए इस योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत किये जा रहे है। ऋण की अवधि 2 से 10 वर्ष है। वर्ष 2018–19 (31.08.2018तक) में 4 मामलों में 36. 85 लाख रूपये के ऋण वितरण किया गया है। गत तीन वर्षो में शिक्षण संस्थाओं योजनान्तर्गत वितरित ऋणों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क.सं.	वर्ष	ऋण वितरण	
		संख्या	राशि(लाखों में)
1	2015-16	24	296.6
2	2016-17	7	181.39
3	2017-18	10	180.13
4	2018-19 (up to 31.08.18)	4	36.85

(5) उच्च शिक्षा ऋण योजना :

राज्य की प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के ऋणी सदस्यों के बच्चों को स्नातकोत्तर एवं प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे इन्जिनियरिंग मेडिकल, वेटनरी, कृषि, फैशन तकनीकी, आयुर्वेद, कम्प्यूटर शिक्षा, मैनेजमेन्ट आदि कोर्सेज में अध्ययन कराने हेुत इसी योजनान्तर्गत ऋण वितरण कर रही है। इस योजनान्तर्गत अधिकतम 10.00 लाख रूपये तक अथवा प्रस्तावित व्यय का 80 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। ऋण की अवधि 5 वर्ष है। वर्ष 2018–19 (31.08.2018तक) में कोई ऋण वितरण नही किया गया है। गत तीन वर्षो में उच्च शिक्षा ऋण योजनान्तर्गत वितरित ऋणों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क.सं.	वर्ष	ऋण वितरण	
		संख्या	राशि(लाखों में)
1	2015-16	7	34.33
2	2016-17	4	9.65
3	2017-18	1	1.78
4	2018-19 (upto 31.08.18)	0	0.00

(6) मुख्यमंत्री जलधारा योजना :–

राज्य में पिछले कुछ वर्षो से हो रही अल्प वर्षा के कारण भूजल स्तर में लगातार गिरावट के कारण क्षेत्र (अनूसूचित जनजाति/सहरिया क्षेत्र) की अधिकांश पंचायत समितियां डार्क श्रेणी में वर्गीकृत हो गयी है, जिससे बैंकों को लघु सिंचाई उद्देश्यों के लिये ऋण वितरण करने में कठिनाई उत्पन्न हुयी है। अतः क्षेत्र के कृषकों को डार्क जोन क्षेत्र में भी लघु सिंचाई योजना उद्देश्यों जैसे नवकूप निर्माण, कूप गहरा करवाना, नलकूप निर्माण, पम्पसेट विद्युतीकरण आदि उद्देश्यों हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिये अनूसूचित जनजाति/सहरिया क्षेत्र के 6 जिलों (उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारां एवं सिरोही) की 25 पंचायत समितियों में (जिनमें 4 सुरक्षित, 8 अद्धसंवेदनशील एवं 13 डार्क

जोन में वर्गीकृत है) मुख्यमंत्री जनजाति (अनूसूचित/ सहरिया क्षेत्र) जलधारा योजना 15.12.2007 से प्रारम्भ की गयी है। इस योजनान्तर्गत प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा कृषकों को ऋण उपलब्ध कराया जावेगा। ऋण की अवधि 5 से 15 वर्ष है। वर्ष 2018–19(31.08.2018तक) में 25 मामले में 11.64 लाख रू. का ऋण वितरण किया गया है। गत तीन वर्षो में मुख्यमंत्री जलधारा योजनान्तर्गत वितरित ऋणों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क.सं.	वर्ष	ऋण वितरण	
		संख्या	राशि(लाखों में)
1	2015-16	78	41.92
2	2016-17	92	30.42
3	2017-18	182	64.62
4	2018-19 (upto 31.08.18)	25	11.64

(7) ट्रैक्टर नकद ऋण वितरण योजना :

ट्रैक्टर योजनान्तर्गत कृषकों को ट्रैक्टर क्रय करने हेतु रेखांकित चैक द्वारा ऋण वितरित किये जा रहे हैं। ऋणी कृषक चैक को अपने बचत खाते में जमा कराकर अपनी पसन्द का ट्रैक्टर, मोल–भाव कर 15 दिवस में (विशेष परिस्थिति में एक माह में) क्रय करेगा। ऋणी कृषक द्वारा निर्धारित अवधि में ऋण का उपयोग नहीं करने पर बैंक द्वारा 3 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज लिया जायेगा तथा दिये गये ऋण की एकमुश्त वसूली की जावेगी। वर्ष 2018–19(31.08.2018तक) में 64 मामलों में रू. 292.73 लाख रूपये का ऋण वितरण किया गया है। ऋण की अवधि 9 वर्ष है। गत तीन वर्षो में ट्रैक्टर नकद ऋण वितरण योजनान्तर्गत वितरित ऋणों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क.सं.	वर्ष	ऋण वितरण	
		संख्या	राशि(लाखों में)
1	2015-16	184	793.68
2	2016-17	151	622.77
3	2017-18	184	812.02
4	2018-19 (upto 31.08.18)	64	292.73

(8) डेयरी उद्यमिता विकास योजना :

राष्ट्रीय बैंक द्वारा जारी डेयरी उद्यमिता विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 से वर्ष 2018–19 तक स्वीकृत अनुदानों का विवरण निम्न प्रकार है:–

वर्ष	स्वीकृत अनुदान	
	संख्या	राशि(लाखों में)
2014-15	471	331.760
2015-16	22	28.790
2016-17	625	497.440
2017-18	320	343.532

वर्ष 2017–18 में 201 केसेज में 203.14 लाख के अनुदान दावें नाबार्ड को भिजवाये गये हैं।

(10) ग्रामीण गोदाम योजना :

राष्ट्रीय बैंक द्वारा जारी ग्रामीण गोदाम योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 से वर्ष 2017–18 में तक स्वीकृत अनुदानों का विवरण निम्न प्रकार है:–

क.सं.	वर्ष	स्वीकृत अनुदान	
		संख्या	राशि(लाखों में)
1	2014-15	1	0.58
2	2015-16	29	63.18
3	2016-17	22	24.70
4	2017-18	32	60.98

4. आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियां :

1.) रहन मुक्ति प्रमाण पत्र जारी :–

वर्तमान सरकार के कार्यकाल (दिनॉक 22.12.2013 से 31.08.2018) में प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा ऋण का पूर्ण चुकारा करने पर 65877 ऋणियों को रहन मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं।

2.) एकमुश्त समझौता योजना :

भूमि विकास बैंकों के बढते एन.पी.ए. को देखते हुए अवधिपार के दोषी ऋणियों को पुनः ऋण देकर मुख्यधारा में लाने के लिए गत वर्षों में एक मुश्त समझौता योजना लागू की गयी। उक्त योजना का लाभ लेने वाले ऋणियों को अवधिपार ब्याज में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार छूट तथा दण्डनीय ब्याज व अन्य खर्चो में शत प्रतिशत छूट दी गयी है। वर्षवार दी गयी राहत का विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष	स्वीकृत राहत	
	संख्या	राशि(लाखों में)
2014-15	7862	2121.90
2015-16 (Tonk)	1041	321.38
2016-17	8116	2581.62
2017-18	5638	1413.87

3.) बजट घोषणा की कियान्विति में प्रदत 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान :–

कृषि व कृषि सम्बद्ध क्षेत्रो में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु राज्य के किसानों द्वारा भूमि equipment तथा Technology में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्धेश्य से यह योजना माननीय मुख्यमन्त्री द्वारा लागू की गई है। कृषि क्षैत्र में दीर्घकालीन निवेश को बढ़ावा देने के लिए योजना का अधिकाधिक प्रचार–प्रसार कर देय होनी वाली मांग का समय पर पूर्ण चुकारा करने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करते हुए अधिकाधिक संख्या में किसानों को योजना से लाभान्वित किया जायेगा। बजट घोषणा वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक की बजट घोषणाओं में दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की घोषणा की गई।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य सरकार की बजट घोषणा की क्रियान्विति में 13927 कृषकों को 1125.00 लाख रू. की राहत जारी की गई है। गत तीन वर्षो में 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की घोषणा के अन्तर्गत प्रदत राहत का विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष	प्रदत राहत	
	संख्या	राशि(लाखों में)
2014-15	0	0.00
2015-16	6734	350.00
2016-17	9274	600.00
2017-18	13927	1125.00
Total	29935	2075.00

वर्ष 2018–19 में 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना राज्य बैंक के पत्र क्रमांक 13310–61 दिनांक 09.08.2018 द्वारा लागू की गई है।

4.) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना :–

राज्य सरकार के कृषि(ग्रुप–1) विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ सीजन 2018–19 के सम्बन्ध में अधिसूचना दिनॉक 25.07.2018 के द्वारा राज्य के 33 जिलों में खरीफ सीजन 2018–19 हेतु फसलों के लिए योजना लागू की गयी है।

5.) सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना :–

राज्य भमि विकास बैंक एवं एस.बी. आई लाइफ इन्श्योरेंश कम्पनी लि. के मध्य दिनॉक 31.10.2017 समझौता ज्ञापन कर राज्य भूमि विकास बैंक के पत्र कमॉक 18815–72 दिनॉक 13.11.2017 द्वारा समस्त प्राथमिक बैंकों को 8.81 रू. प्रति व्यक्ति प्रति हजार प्रीमियम राशि पर 10.00 लाख तक का सहकार जीवन सुरक्षा बीमा करवाये जाने हेतु योजना दिनॉक 31.03.2018 तक के लिए लागू की गयी थी। वर्ष 2018–19 में सहकार जीवन सुरक्षा बीमा करवाये जाने हेतु योजना प्रक्रियाधीन है।

6.) राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना :–

राज्य भूमि विकास बैंक एवं न्यू इडिया इन्श्योरेंश कम्पनी, मुम्बई के मध्य समझौता ज्ञापन कर राज्य भूमि विकास बैंक के पत्र कमॉक 16402–45 दिनॉक 10.10.2017 द्वारा समस्त प्राथमिक बैंकों को 55.00 रू. प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष प्रिमियम राशि पर 6.00 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा करवाये जाने हेतु योजना दिनॉक 31.03.2018 तक के लिए लागू की गयी थी जिसके अन्तर्गत दिनॉक 31.03.2018 तक 7465 मामलों में बीमा करवाया गया है।

राज्य भूमि विकास बैंक एवं श्रीराम जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 के मध्य समझौता ज्ञापन कर बैंक के पत्र कमॉक 7989–8040 दिनॉक 22.06.2018 द्वारा वर्ष 2018–19 में समस्त प्राथमिक बैंकों में. 10.00 लाख तक का बीमा 188.80 रूपये प्रति व्यक्ति प्रीमियम की दर से राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू कर दी गई है।

बैंक की उपलब्धियॉ :–

(1) राज्य भूमि विकास बैंक स्तर पर ऋण पुर्नभरण :– (राशि लाखों में)

वर्ष	लक्ष्य	ऋण पुर्नभरण	उपलब्धि प्रतिशत
2013-2014	**27195.00**	**21715.32**	**79.85**
2014-2015	**29500.00**	**21866.87**	**74.12**
2015-2016	**30000.00**	**24369.30**	**81.23**
2016-2017	**33833.00**	**19527.79**	**57.72**
2017-2018	**28000.00**	**24372.30**	**87.04**
2018-2019 (up to31.08.18)	**33000.00**	**2956.57**	**8.96**

(2) प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के स्तर पर ऋण वितरण : गत 5 वर्षो में प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा किये गये दीर्घकालीन ऋण वितरण का विवरण निम्न प्रकार है:– **(राशि लाखों में)**

वर्ष	लक्ष्य	ऋण वितरण	उपलब्धि%
2013-2014	27195.00	21361.52	78.55
2014-2015	29500.00	20855.99	70.70
2015-2016	30000.00	24895.36	82.98
2016-2017	33833.00	20260.29	59.88
2017-2018	30000.00	24363.25	81.21
2018-2019 (up to31.08.18)	33000.00	6615.55	20.05

(3) सेक्टरवार ऋण वितरण :–

(अ) प्राथमिक बैंक स्तर पर **(राशि लाखों में)**

क्र.स.	सैक्टर	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19 (up to31.08.18)
1	लघुसिंचाई	1110.14	825.59	1494.40	1145.68	1192.62	228.64
2	कृषि यंत्रीकरण	2575.82	1760.47	2067.84	1726.25	1833.29	435.73
3	विविधिकृत	8454.67	9222.83	14214.59	12565.47	16511.77	4873.69
4	अकृषि	4912.12	4856.61	3211.19	2340.91	1627.67	354.49
5	ग्रा0आवास	4308.77	4190.49	3907.34	2481.98	3049.98	723.00
6	फसली ऋण	5063.64	3958.31	3210.77	2773.30	2338.44	1889.03
7	मोर्गेज ऋण	0.00	750.82	1405.17	208.77	452.52	73.15
	योग	**26425.16**	**25565.12**	**29511.30**	**23242.36**	**27006.29**	**8577.73**

(आ) प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति/जन–जाति के कृषकों को ऋण वितरण का विवरण निम्न प्रकार है :– (राशि लाखों में)

वर्ष	कुल ऋण वितरण		अनुसूचित जाति को ऋण वितरण		अनुसूचित जनजाति को ऋण वितरण	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2013-14	14806	26425.16	1919	2608.10	1364	1364.44
2014-15	13316	25565.12	1880	2631.89	956	1180.37
2015-16	14263	29511.30	2040	3574.84	849	1042.04
2016-17	10257	23242.36	1365	2453.73	447	564.41
2017-18	12603	27154.21	1634	2715.89	614	674.35
2018-19 (up to31.08.18)	3655	8577.73	379	642.61	126	154.93

(4) ऋण पत्र निर्गमन : (राशि लाखों में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि %
2013-2014	20000.00	20000.00	100.00
2014-2015	22500.00	17576.66	78.12
2015-2016	25000.00	20413.66	81.65
2016-2017	27500.00	25520.00	92.80
2017-2018	27500.00	22756.19	82.75
2018-2019 (31.08.2018 तक)	28200.00	8321.51	29.51

(5) ऋणों की वसूली :

(i) राज्य बैंक स्तर पर (30 जून को) : (राशि लाखों में)

सहकारी वर्ष	मॉग	वसूली	बकाया	प्रतिशत
2012-2013	75402.09	33072.40	42329.69	43.86
2013-2014	53933.32	31028.80	22904.52	57.53
2014-2015	84294.75	32728.85	51565.90	38.83
2015-2016	88325.52	31603.09	56722.43	35.78
2016-2017	93539.30	28052.51	65486.79	29.99
2017-2018 (Tentative)	102700.83	26468.47	76232.36	25.77

(ii) प्राथमिक बैंक स्तर पर : (30 जून को) (राशि लाखों में)

सहकारी वर्ष	मांग	वसूली	बकाया	प्रतिशत
2012-2013	115512.24	43781.35	71730.89	37.90
2013-2014	114893.13	41944.31	72948.82	36.51
2014-2015	113896.13	37137.89	76758.24	32.61
2015-2016	117140.09	41342.01	75798.08	35.29
2016-2017	117845.53	39990.20	77855.33	33.93
2017-2018 **(Tentative)**	116052.30	32318.13	83734.17	27..85

5. वित्तीय उपलब्धियॉ :

(i) राज्य भूमि विकास बैंक (31 मार्च की स्थिति) : – (राशि लाखों में)

वर्ष	हिस्सा राशि	सुरक्षित कोष	ऋण पत्र निर्गमन	ऋण वितरण	ऋण बकाया	कार्य शील पूंजी	वर्षिक लाभ
2012-2013	3678.81	7360.76	22188.09	18266.18	141035.79	179228.71	306.84
2013-2014	3729.86	7360.76	20000.00	21766.62	144349.47	180538.30	215.30
2014-2015	3810.79	7360.76	17576.66	21866.87	145303.97	178920.09	369.78
2015-2016	3871.69	7360.76	20413.66	24369.30	150491.08	179474.92	522.82
2016-2017	3871.54	7406.85	25520.00	19527.79	153325.41	183869.98	561.21

(ii) प्राथमिक बैंक स्तर पर :– (राशि लाखों में)

विवरण	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
1.हिस्साराशिः अ–सदस्य ब–राज्यसरकार स–कुलः	 7761.04 2344.23 10105.27	 7651.99 2345.55 9997.54	 7314.69 2374.03 9688.72	 7440.40 2334.93 9775.33	 7462.32 2255.23 9717.55
2.रिजर्व/अन्य कोष	59415.74	63231.18	64427.79	66020.74	68297.70
3.निजी कोष	69521.01	73228.72	74116.51	75834.62	78015.25
4.उधार बकाया	140465.88	143895.06	144896.14	150160.02	152947.53
5.ऋण बकाया	128230.20	127876.82	125781.62	128122.85	127509.19
6.कार्यशील पूंजी	206055.64	208131.18	207530.74	212236.79	214456.89
7.वार्षिक लाभ/हानिः अ–राशि लाभ ब–संख्या बैंक स–राशि हानि द–संख्या बैंक	 523.93 (17) -6394.28 (19)	 638.19 (15) -5153.54 (21)	 734.87 (20) -4151.68 (16)	 641.44 (17) -4793.87 (19)	 864.08 (18) -4767.77 (18)
8.संचित लाभ/हानिः अ– राशि लाभ ब– संख्या बैंक स– राशि हानि द– संख्या बैंक	 6163.04 (16) -23266.61 (20)	 4078.42 (15) -27989.06 (21)	 3879.04 (15) - 27989.02 (21)	 4063.84 (16) -31974.94 (20)	 5151.24 (14) -41427.12 (22)
9. ऋणी सदस्य	708281	717967	718660	772507	727373

6. वर्ष 2018–19 का ऋण वितरण कार्यक्रम :

वर्ष 2018–19 हेतु 330.00करोड़ के ऋण वितरण लक्ष्य निर्धरित हैं। जिसके विरूद्व माह अगस्त 2018 तक रुपये 85.78 करोड़ का दीर्घकालीन ऋण वितरण किया गया है जो लक्ष्यों का 20.05 प्रतिशत है।

7. ब्याज दर :–

प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंको द्वारा ऋणियों को राज्य बैंक के परिपत्र संख्या 346, पत्र क्रमांकः 12293–353 दिनांक 30.07.2018 के अनुसार दिनांकः 19.07.18 से 12.50 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराये जा रहे है।

8. हिस्सा राशि :–

राज्य की प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंको द्वारा ऋणियों से 2.00 लाख रुपये तक के ऋणों पर 5.00 प्रतिशत हिस्सा राशि एवं 2.00 लाख रुपये से अधिक ऋण पर 3.00 प्रतिशत हिस्सा राशि ली जाती है।

9. लाभ/हानि का विवरण :–

अ. राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक स्तर पर :–					(राशि लाखों में)
विवरण	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
वर्ष में लाभ	306.84	215.30	369.78	522.82	561.21
वर्ष में हानि	-	-	-	-	-
संचित लाभ	9851.63	3964.09	4333.87	4856.69	5258.64
संचित हानि	-	-	-	-	-

आ. प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के स्तर पर :–									(राशि लाखों में)	
विवरण	**2012-13**		**2013-14**		**2014-15**		**2015-16**		**2016-17**	
	बैंक	**राशि**	**बैंक**	**राशि**	**बैंक**	**राशि**	**बैंक**	**राशि**	**बैंक**	**राशि**
वर्ष में लाभ	17	523.93	15	638.19	20	734.87	17	641.44	18	864.08
वर्ष में हानि	19	6394.28	21	5153.54	16	4151.68	19	4793.87	18	4767.77
संचित लाभ	16	6163.04	15	4078.42	15	3879.04	16	4063.84	14	5151.24
संचित हानि	20	23266.61	21	27989.06	21	27989.02	20	31974.94	22	41427.12

10. लाभांश :– गत 10 वर्षों में राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा वितरित लाभांश का विवरण निम्न प्रकार हैः–

वर्ष	लाभॉश दर	लाभॉश राशि (लाखों में)
2006-07	**10%**	**317.93**
2007-08	**10%**	**331.78**
2008-09	**10%**	**339.29**
2009-10	**10%**	**343.16**
2010-11	**10%**	**351.27**
2011-12	**10%**	**361.23**
2012-13*	**-**	**-**
2013-14*	**-**	**-**
2014-15*	**-**	**-**
2015-16	**2.5%**	**95.65**
2016-17	**-**	**-**

*– वितरण योग्य लाभ नहीं होने के कारण लाभांश वितरित नहीं किया गया।